भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4588

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

4588. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) जी,हाँ। त्रिपुरा राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य संपर्कता की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति अवसंरचना के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के योग्य स्थिति में रहें।

सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के अनुरक्षण को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है। सरकार ने योजना बनाई है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को निम्नलिखित में से किसी एक कार्यतंत्र के माध्यम से रखरखाव के अधीन रखा जाना चाहिए:

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर), जहां विकास कार्य शुरू हो गए हैं या संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) अनुबंध दिए गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायती अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/संविदाकारों की जिम्मेदारी है।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने कार्य-निष्पादन-आधारित अनुरक्षण अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक अनुरक्षण अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से अनुरक्षण कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों द्वारा सड़कों की स्थिति का आकलन करने, अनुरक्षण या उन्नयन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सड़कों का निरीक्षण किया जाता है कि राजमार्ग सुरक्षित, सुगम्य और अच्छी तरह से अनुरक्षित रहें।

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएच की कुल लंबाई (किमी में)	**सौंपे गए/चल रहे विकास कार्यों की लंबाई (किमी में)**	**डीएलपी/रियायती अवधि के अंतर्गत लंबाई (किमी में)**	**सौंपी गई लंबाई/चल रहे रखरखाव कार्य (पीबीएमसी/एसटीएमसी/आईआरक्यूपी) (किमी में)**	**टिप्पणियां**
793	278	438	49	राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क की टूट फूट/गड्ढों के रखरखाव के बाद शेष लंबाई 01.01.2025 को एनएचआईडीसीएल को सौंप दी गई है।

******